

10.7.2016


# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

सदिय्य/अधैष जमाबदी रद्द अधिलेख संख 51 /2018-17

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1960 की धारा 4(h) के तहत जींच एंव कार्रवाई से संबंधित।


दिनांक  
13/3/15

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
13/3/15	<p>झारखंड सरकार के आदेश-2074/रा0 दिनांक-13.05.2016</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0 ग0 निति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जींच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा-आमाघाटा मौजा न0-09 खाला न0 28 प्लॉट न0 187 रकबा 03 कटटा की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या 02 के पृष्ठ संख्या 202 पर जमाबंदी रेयत श्री/श्रीमति सुरीला देवी के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरंत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिय्य प्रतिवेदित किया गया है। जींच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना स्वम प्राधिकार के आदेश के/अधैष बंदोबस्ती के आधार पर/अधैष कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अधैष लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य की क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अधैष प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1960 की धारा 4(h) के तहत जींच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अत- उपरोक्त जींच प्रतिवेदन पर अंचल-निरीक्षक का मतव्य प्राप्त करे। अधिलेख दिनांक 27/3/15 को रखे।</p>	

  
 13.3.15  
 अंचल अधिकारी,  
 धनबाद।


22/5/19

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।  
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।

  
27-3-19  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

10/4/19

अभिलेख उपास्थिपित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।  
अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।

  
27-3-19  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

10/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त।  
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक  
20/6/20 को रखे।

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।


20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा  
आपवादा मौजा नं० 09 खाता 28 प्लॉट  
नं० 187 रकबा 020000 मूमि से संवधित है। आवेदित  
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबदी रैयत  
के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का  
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित  
भूमि दाखिल खारिज केस नं० 1118 (11) 92-93 के अनुसार कायम है।  
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्पद माना गया  
है। जिसे संवधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबदी को रद्द  
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि  
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधत।

  
20.6.20  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।

  
20.6.20  
अचल अधिकारी